न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 50/2024

अनवान : –

1. सरोज कुमारी पत्नी बजरंगलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 05/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 117/165 की कुल 10.3310 हैक्ट भूमि में 1518/10331 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम सरोज कुमारी पत्नी हरिराम दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थीया का वास्तविक व सही पता मुताबिक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड व सरपंच ग्राम पंचायत कानसर द्वारा की तस्दीक आदि में प्रार्थीया का नाम सरोज कुमारी पत्नी बजरंगलाल दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त वाद भूमि प्रार्थीया की जरिये बैयनामा खरीद की गई है बैयनामा में प्रार्थीया के पति का नाम बजरंगलाल है लेकिन इंतकाल दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थीया के पति का नाम हरिराम दर्ज हो गया। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया अपना नाम सरोज कुमारी पत्नी हरीराम के स्थान पर सरोज कुमारी पत्नी बजरंगलाल दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। तहसील नोहर दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का मुताबिक दस्तावेज व मुताबिक बैयनामा नाम दुरूस्त करे देवे जिससे प्रार्थीया का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पे[illegible]ाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:51:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि प्रार्थीया के पति का नाम बैयनामा में बजरंगलाल व राजस्व रिकार्ड में हरिराम दर्ज हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम सरोज कुमारी पत्नी हरिराम दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है उक्त वाद भूमि प्रार्थीया की जरिये बैयनामा खरीद की गई है बैयनामा में प्रार्थीया के पति का नाम बजरंगलाल है लेकिन इंतकाल दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थीया के पति का नाम हरिराम दर्ज हो गया। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया अपना नाम सरोज कुमारी पत्नी हरीराम के स्थान पर सरोज कुमारी पत्नी बजरंगलाल दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों एवं बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सरोज कुमारी पत्नी बजरंगलाल दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 117/165 की कुल 10.3310 हैक्ट भूमि में 1518/10331 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीया का नाम सरोज कुमारी पत्नी हरिराम दर्ज है एवं प्रार्थीया इसके स्थान पर सरोज कुमारी पत्नी बजरंलाल दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत बैयनामा मे प्रार्थीया के पति का नाम बजरगलाल है जबकि राजस्व रिकार्ड में सरोज कुमारी पत्नी हरिराम है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत कानसर की तस्दीक में भी प्रार्थीया के पति का नाम बजरंगलाल है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 117/165 की कुल 10.3310 हैक्ट भूमि में 1518/10331 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में **प्रार्थीया का नाम सरोज कुमारी पत्नी हरिराम के स्थान पर सरोज कुमारी पत्नी बजरंगलाल का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के नाम सरोज कुमारी पत्नी हरिराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के नाम सरोज कुमारी पत्नी हरिराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम सरोज कुमारी पत्नी हरिराम लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 05/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नाम [illegible] की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:51:10 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2024 / दिनांक :

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :— प्रकरण स0 50 / 2024 अनवानी सरोज कुमारी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या — 50 / 2024

अनवान : —

1. सरोज कुमारी पत्नी बजरंगलाल जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

—प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 117 / 165 की कुल 10.3310 हैक्ट भूमि में 1518 / 10331 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में **प्रार्थी का का नाम सरोज कुमारी पत्नी हरिराम के स्थान पर सरोज कुमारी पत्नी बजरंगलाल का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के नाम सरोज कुमारी पत्नी हरिराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के नाम सरोज कुमारी पत्नी हरिराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम सरोज कुमारी पत्नी हरिराम लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:51:10 IST
Reason: SelfAttested